न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 91/2022 दायरा दिनांक : 20.06.2022

उनवान

रामधन पुत्र गोपीलाल, जाति माली, निवासी ग्राम बडवा, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1— आत्माराम पुत्र अमरलाल, जाति माली, निवासी ग्राम बडवा, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0)

2— रामगोपाल पुत्र श्रवणलाल, जाति माली, निवासी ग्राम बडवा, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0)

3— बद्रीलाल पुत्र केसरीलाल, जाति माली, निवासी ग्राम बडवा, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0)

4— राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता जिला बारां (राज0)

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित —श्री प्रदीप मेहरा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री धीरेन्द्र मालव अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 की ओर से

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.03.2022 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अन्ता जिससे वाद संख्या – 29/2020 राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) स्वीकार किया गया।

निर्णय **दिनांक : 11.07.2023**

1– वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि–

2– वादी के कब्जे काश्त एवं संयुक्त खाते की आराजी वाके माल ग्राम बडवा, तहसील अन्ता में खाता संख्या 1000 में खसरा नम्बर 521 रकबा 1.22 हेक्टर भूमि स्थित है।

3– उक्त भूमि वादी को अपने पारिवारिक हिस्से में प्राप्त हुई है जिस पर वादी लगातार काबिज काश्त है तथा उक्त आराजियात के पास ही प्रतिवादी कम 2 की भूमि खसरा नम्बर 522 रकबा 1.90 हेक्टर भूमि स्थित है जिस पर होकर वादी रास्ते का उपयोग अपनी उक्त आराजियात खसरा नम्बर 521 रकबा 1.22 हेक्टर का कृषि कार्य हेतु कृषि यन्त्र लाने, ले जाने हेतु कर रहा है जिसका उपयोग उपभोग वादी करता चला आ रहा है। वादी अपने खेत का रास्ता कायम करवाने का कानूनी अधिकारी है।

4– वादी की भूमि खसरा नम्बर 521 रकबा 1.22 हेक्टर भूमि के लगवा प्रतिवादी कम 2 की भूमि खसरा नम्बर 522 रकबा 1.90 हेक्टर भूमि स्थित है। मैं पूरब से पश्चिम दक्षिणी मेढ़ की तरफ वादी के खेत तक रास्ता कायम करवाया जावे।

5– वादी को अपने खाते की आराजी में कृषि यन्त्र लाने, ले जाने का एक मात्र रास्ता प्रतिवादी कम 2 की भूमि खसरा नम्बर 522 में

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दक्षिणी दिशा मेढ़ के सहारे लम्बी पट्टी के रूप में राजस्व रेकार्ड व नक्शा ट्रेस में पृथक से खाते दर्ज किया जावे। वादी ने उक्त रास्ते के बाबत प्रतिवादी क्रम 2 से निवेदन किया तो प्रतिवादी ने मना करते हुए वादी को उक्त कृषि भूमि के रास्ते से वंचित करने की धमकी दी।

6— वादी को अपने खाते की आराजी में कृषि कार्य करने हेतु प्रतिवादी क्रम 2 की भूमि खसरा नम्बर 522 में 12 फुट चौडाई एवं मेढ़ के सहारे लम्बा रास्ते की आवश्यकता है, इसलिए वादी अपने खाते की आराजियात के लिए खसरा नम्बर 522 में होकर रास्ता कायम करवाकर वादी उक्त भूमि के रास्ते की भूमि की डी. एल. सी. दर से राशि जमा करवाने के लिए तैयार है।

7— वादी को अपने उक्त खेत में आने जाने के लिए प्रतिवादी क्रम 2 की आराजी में से लम्बी पट्टी के रूप में रास्ता 12 फुट चौडा नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में रास्ता कायम करवाया जाना आवश्यक है।

8— वादी कारण दिनांक 14.07.2020 को वादी ने प्रतिवादी क्रम 2 से अपने खेत में आने जाने का रास्ता कायम करवाने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी क्रम 2 साफ इंकार हो गया, जिस कारण वाद बमुकाम बडवा में उत्पन्न हुआ।

9— उक्त आराजियात वाके माल बडवा, तहसील अन्ता में स्थित होने से न्यायालय श्रीमान् को वादपत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

10— अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में इस आशय की सादिर डिक्री एवं निर्णय पारित फरमाया जावे कि ग्राम बडवा, तहसील अन्ता में खाता संख्या 1000 में

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

खसरा नम्बर 521 रकबा 1.22 हेक्टर भूमि में कृषि कार्य हेतु कृषि यन्त्रों को लाने, ले जाने के लिए प्रतिवादी कम 2 की आराजी खसरा नम्बर 522 रकबा 1.90 हेक्टर भूमि में से लम्बी पट्टी के रूप में 12 फुट चौडाई का रास्ता पश्चिम से पूरब वादी के खेत तक दक्षिणी तरफ का राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में दर्ज कराने का आदेश प्रदान करें। वादी उक्त रास्ते की भूमि की राशि डी.एल.सी. दर से जमा करवाने को तैयार है।

11— अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि —

12— प्रार्थी द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी के कब्जे काश्त एवं संयुक्त खाते की आराजी वाके माल ग्राम बडवा, तहसील अन्ता में खाता संख्या 1000 में खसरा नम्बर 521 रकबा 1.22 हेक्टर भूमि स्थित है। जो नकल जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 से प्रमाणित है।

13— उक्त भूमि वादी को अपने पारिवारिक हिस्से में प्राप्त हुई है जिस पर वादी लगातार काबिज काश्त है तथा उक्त आराजियात के पास ही प्रतिवादी कम 2 की भूमि खसरा नम्बर 522 रकबा 1.90 हेक्टर भूमि स्थित है जिस पर होकर वादी रास्ते का उपयोग अपनी उक्त आराजियात खसरा नम्बर 521 रकबा 1.22 हेक्टर का कृषि कार्य हेतु कृषि यन्त्र लाने, ले जाने हेतु कर रहा है जिसका उपयोग—उपभोग वादी करता चला आ रहा है। वादी अपना खेत का रास्ता कायम करवाने का कानूनी अधिकारी है।

14— वादी की भूमि खसरा नम्बर 521 रकबा 1.22 हेक्टर भूमि के लगवा प्रतिवादी कम 2 की भूमि खसरा नम्बर 522 रकबा 1.90 हेक्टर

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भूमि स्थित है। मैं पूरब से पश्चिम दक्षिणी मेढ़ की तरफ वादी के खेत तक रास्ता कायम करवाया जावे।

15— वादी को अपने खाते की आराजी में कृषि यन्त्र लाने, ले जाने का एक मात्र रास्ता प्रतिवादी क्रम 2 की भूमि खसरा नम्बर 522 में दक्षिणी दिशा मेढ के सहारे लम्बी पट्टी के रूप में राजस्व रेकार्ड व नक्शा ट्रेस में पृथक से खाते दर्ज किया जावे। वादी ने उक्त रास्ते के बाबत प्रतिवादी क्रम 2 से निवेदन किया तो प्रतिवादी ने मना करते हुए वादी को उक्त कृषि भूमि के रास्ते से वंचित करने की धमकी दी।

16— वादी को अपने खाते की आराजी में कृषि कार्य करने हेतु प्रतिवादी क्रम 2 की भूमि खसरा नम्बर 522 में 12 फुट चौडाई एवं मेढ के सहारे लम्बा रास्ते की आवश्यकता है, इसलिए वादी अपने खाते की आराजियात के लिए खसरा नम्बर 522 में होकर रास्ता कायम करवाकर वादी उक्त भूमि के रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर से राशि जमा करवाने के लिए तैयार है।

17— वादी को अपने उक्त खेत में आने जाने के लिए प्रतिवादी क्रम 2 की आराजी में से लम्बी पट्टी के रूप में रास्ता 12 फुट चौडा नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में रास्ता कायम करवाया जाना आवश्यक है।

18— वादी कारण दिनांक 14.07.2020 को वादी ने प्रतिवादी क्रम 2 से अपने खेत में आने जाने का रास्ता कायम करवाने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी क्रम 2 साफ इंकार हो गया; जिस कारण वाद बमुकाम बडवा में उत्पन्न हुआ।

19— उक्त आराजियात वाके माल बडवा, तहसील अन्ता में स्थित होने से न्यायालय श्रीमान् को वादपत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

20– अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में इस आशय की सादिर डिक्री एवं निर्णय पारित फरमाया जावे कि (1) ग्राम बडवा, तहसील अन्ता में खाता संख्या 1000 में खसरा नम्बर 521 रकबा 1.22 हेक्टर भूमि में कृषि कार्य हेतु कृषि यन्त्रों को लाने, ले जाने के लिए प्रतिवादी कम 2 की आराजी खसरा नम्बर 522 रकबा 1.90 हेक्टर भूमि में से लम्बी पट्टी के रूप में 12 फुट चौडाई का रास्ता पश्चिम से पूरब वादी के खेत तक दक्षिणी तरफ का राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में दर्ज कराने का आदेश प्रदान करें। वादी उक्त रास्ते की भूमि की राशि डी.एल.सी. दर से जमा करवाने को तैयार है।

21– प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश न कर बहस हेतु निवेदन किया गया।

22– तहसील अन्ता से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई जो निम्न प्रकार है – वादी आत्माराम पुत्र अमरलाल, जाति माली, निवासी बडवा द्वारा आर. टी. एक्ट की धारा 251 (क) में रास्ता चाहने हेतु श्रीमान के न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया है।

23– उक्त प्रकरण संख्या 29/2020 उनवान आत्माराम बनाम राजस्थान सरकार में श्रीमान् द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई है। प्रकरण की जांच भू0 अभि0 नि0 बडवा से कराई गई है। जवाब निम्न प्रकार से है – ग्राम बडवा में वादी आत्माराम पुत्र अमरलाल, जाति माली, निवासी बडवा के नाम खसरा नम्बर 521 रकबा 1.22 हेक्टर भूमि दर्ज है तथा प्रतिवादी रामधन पुत्र गोपीलाल, जाति माली, निवासी

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बडवा खसरा नम्बर 522 रकबा 1.90 हेक्टर भूमि के नाम रकॉड दर्ज है। खसरा नम्बर 521 रकबा 2.45 हेक्टर पूर्व में दोनों भाई आत्माराम व रामगोपाल के शामलाती खाते में दर्ज था। दोनों भाइयों द्वारा रास्ते का विकल्प नहीं रखा गया है जबकि राज्य सरकार के आदेश वर्ष 2007 अनुसार रास्ते का विकल्प रखा जाना चाहिए था। बंटवारे से पूर्व वादी के खसरे नम्बर में आने जाने के लिए प्रतिवादी के खसरा नम्बर 522 में उत्तर से पूर्व में रास्ता वर्तमान निकल रहा है तथा वर्तमान में चालू अवस्था में है। वादी द्वारा इसी खसरा नम्बर 522 में दक्षिण दिशा से भी रास्ता चाहा जा रहा है। जिससे प्रतिवादी को दोहरा नुकसान होगा।

24— आत्माराम व रामगोपाल द्वारा खसरा नम्बर 521 का बंटवारा कराते समय दोनों के द्वारा रास्ता नहीं छोडा गया है, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ है। मौके पर प्रतिवादी के खसरा नम्बर 522 में उत्तर की ओर रास्ता चालू है। प्रथम दृष्टया रास्ता वादी के भाई रामगोपाल द्वारा रोकना पाया गया है इसलिए वादी द्वारा रास्ते हेतु वाद रामगोपाल की भूमि खसरा नम्बर 3840/521 से चाहने हेतु वाद प्रस्तुत किया जाना न्यायोचित है। वादी द्वारा प्रतिवादी के खसरा नम्बर 522 में दक्षिण की तरफ अपने खेत खसरा नम्बर 521 तक रास्ता मांगना न्यायोचित नहीं है। इससे प्रतिवादी को दोहरा नुकसान होना प्रतीत होता है।

25— उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के चरणों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थना पत्र के अनुसार ही रास्ता दिलाया जावे।

26— हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया। तहसीलदार अन्ता से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया एवं मनन किया।

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

तहसीलदार अन्ता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में जो रास्ता दर्शाया गया है वह गै0 मु0 रास्ता दर्ज नहीं है व निकटतम रास्ता नहीं है। राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अनुसार अन्य खातेदार की जोत में से होकर लघुतम एवं निकटतम रास्ता देने का प्रावधान है। ग्राम बडवा में खसरा नम्बर 521 रकबा 1.22 हेक्टेर भूमि में जाने हेतु प्रतिवादी क्रम 2 रामधन की आराजी खसरा नम्बर 522 रकबा 1.90 हेक्टर भूमि में से दक्षिणी दिशा की ओर से प्रार्थी को अपने जोत खेत तक जाने हेतु रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

27– राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत तहसीलदार अन्ता को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी से वर्तमान डीएलसी दर की दो गुणा राशि जमा राजकोष करवायी जाकर ग्राम बडवा, तहसील अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 521 रकबा 1.22 हेक्टर भूमि में जाने हेतु प्रतिवादी क्रम 2 की आराजी खसरा नम्बर 522 रकबा 1.90 हेक्टर भूमि में से दक्षिणी दिशा से (क्षेत्रफल 52 X 4 = 208 वर्ग मीटर) गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

28– इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

29– निर्णय व डिक्री योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय, संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

30– अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी व मौके की वर्तमान स्थिति से विपरीत जाकर सरसरी तौर पर पत्रावली को एक पक्षीय लाभ पहुंचाने की नियत से व राजस्व नियमों को अनदेखा करते हुए जिस तरह से

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निर्णय पारित किया है, जो विधि के सारभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

31— अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, अन्ता से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसमें तहसीलदार अन्ता द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 521 रकबा 2.45 हैक्टर आराजी पूर्व में रेस्पोडेंट कम 1 एवं उसके भाई रामगोपाल के शामलाती खाते में दर्ज थी, तथा दोनों भाइयों द्वारा उक्त खसरा नम्बर 521 का बंटवारा कर लिया गया है तथा वक्त बंटवारा दोनों भाइयों द्वारा रास्ते का विकल्प नहीं रखा गया, जबकि राज्य सरकार के आदेश वर्ष 2007 के अनुसार विकल्प रखा जाना चाहिए था, बंटवारे से पूर्व रेस्पोडेंट के खसरा नम्बर में आने जाने के लिए अपीलांट के खसरा नम्बर 522 में उत्तर पूर्व से रास्ता निकल रहा है, तथा वर्तमान में चालू अवस्था में है किन्तु रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा इसी खसरा नम्बर में से दक्षिण दिशा से भी रास्ता चाहा जा रहा है जिससे अपीलांट को दोहरा नुकसान होगा।

32— रेस्पोडेंट कम 1 आत्माराम व रामगोपाल द्वारा खसरा नम्बर 521 का बंटवारा करते समय दोनों के द्वारा रास्ता नहीं छोड़ा गया, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ है, मौके पर अपीलांट के खसरा नम्बर 522 में उत्तर की ओर रास्ता चालू है। प्रथम दृष्टया रास्ता रेस्पोडेंट कम 1 के भाई रामगापाल द्वारा रोकना पाया गया है, इसलिए रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा रास्ते हेतु वाद रामगोपाल की भूमि खसरा नम्बर 3840/521 से चाहने हेतु वाद प्रस्तुत किया जाना न्यायोचित है। रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा अपीलांट के खसरा नम्बर 522 में दक्षिण की तरफ अपने खेत खसरा नम्बर 521 तक रास्ता मांगना न्यायोचित नहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा सन् 2007 में नोटिफिकेशन द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि संयुक्त खाते में बंटवारा होने पर रास्ते का विकल्प रखा जायेगा, परन्तु यहां पर दोनों भाइयों ने विकल्प को छोड कर आपसी मिलीभगत करके

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

एक ओर रास्ता कायम करवाना चाहते हैं, इससे अपीलांट को दोहरा नुकसान होगा, लेकिन इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार अन्ता की रिपोर्ट को नजर अन्दाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है।

33– अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में पूर्व में रास्ता होते हुए भी नया रास्ता कायम किया है, अपीलांट के खेत दोनों तरफ से रास्तों में विभक्त हो जावेगा, जिससे फसल वगैरहा को नुकसान होगा, जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में नहीं की जा सकती है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है।

34– अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.03.2022 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की खाते की आराजी पर से किसी प्रकार का कोई रास्ता कायम नहीं किया जावे, तथा नक्शे में तरमीम नहीं की जावे।

35– अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 13.04.2022 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

36– अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

37– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में निम्न नजीरे उद्धरत की –

आर आर टी 2022(2) पेज 1096

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आर आर टी 2016(2) पेज 798

आर आर टी 2016(2) पेज 1281

आर बी जे 2021 पेज 299

आर बी जे (28) 2021 पेज 276

38– हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का गहनता से अद्योपान्त अध्ययन किया गया।

39– अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

40– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के निर्णय दिनांक 30.03.2022 द्वारा जो रास्ता दिया गया है, वह सही है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में रास्ता नहीं देने

डॉ० अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया गया है, जिससे अपीलांट को कोई अनुतोष दिया जा सके। अतः अपील में प्रस्तुत सभी बिन्दु सारहीन है।

41— अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हम किसी प्रकार कर हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

42— उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2022 यथावत रखा जाता है ।

43— निर्णय आज दिनांक 11.07.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/7/2023

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा